जिला परिषद कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर)

निलंबनादेश

लोक सूचना पदाधिकारी –सह– उप विकास आयुक्त–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, वैशाली के समक्ष दिनांक 10.09.2012 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री प्रवीण कुमार चौधरी ने कतिपय सूचना मॉगने के उद्देश्य से एक आवेदन पत्र दायर किया था। सूचना मिलने में देर होने के कारण कुछ माह बाद आवेदक राज्य सूचना आयोग अपील में चले गए जहॉ वाद संख्या– 82972/2012–13 शुरू हुआ। इस वाद में तत्कालीन लोक सूचना पदाधिकारी –सह– उप विकास आयुक्त,–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद, वैशाली के द्वारा, उन्हें तीन तिथियों क्रमशः 03.07.2013, 14.07.2013 एवं 22.04.2014 को सूचना उपलब्ध करा दी गई थी। परन्तु आवेदक के द्वारा दिनांक 08.06.2014 को पुनः आपत्ति दायर की गयी। इस वाद में राज्य सूचना आयोग द्वारा दिनांक 08.03.2013 को कतिपय आदेश पारित किए गए एवं वाछित सूचना देने का आदेश दिया गया। साथ ही दिनांक 05.07.2013 को अगली तिथि निर्धारित की गई । इस तिथि को राज्य सूचना आयोग ने पुनः कतिपय सूचना आवेदक को देने का निर्देश दिया एवं सुनवाई के लिए 18.11.2013 की तिथि निर्धारित की गई। संचिका के अवलोकन से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि 18.11.2013 को राज्य सूचना आयोग द्वारा इस वाद में क्या आदेश पारित किया गया क्योकि आदेश की प्रति संचिका में उपलब्ध नहीं है। पुनः राज्य सूचना आयोग के पत्रांक 11164 दिनांक 04.03.2014 द्वारा यह सूचित किया गया कि इस वाद की सुनवाई 05.05.2014 को होगी ।

तत्कालीन राज्य सूचना आयुक्त, श्री एस0 विजयराघवन के सेवानिवृत होने के कारण इस वाद की सुनवाई नहीं हो सकी एवं अगली तिथि 08.09.2014 को निर्धारित की गई। श्री अनिल कुमार द्वारा इसकी एतद संबंधित संचिका उपस्थापित नहीं की गई जिसके कारण तत्कालीन लोक सूचना पदाधिकारी –सह– उप विकास आयुक्त,–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, वैशाली उक्त तिथि को राज्य सूचना आयोग में उपस्थित नहीं हो सके। पुनः राज्य सूचना आयोग के पत्रांक 5356 दिनांक 15.07.2014 द्वारा सूचित किया गया कि इस वाद में अगली सुनवाई 03.02.2015 को निर्धारित की गई है। परन्तु इस पत्र को भी प्रभारी सहायक श्री अनिल कुमार द्वारा तत्कालीन लोक सूचना पदाधिकारी –सह– उप विकास आयुक्त,–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद, वैशाली के समक्ष संचिका के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वे इस वाद में उपस्थित नहीं हुए।

पुनः राज्य सूचना आयोग के पत्रांक 2014 दिनांक 12.02.2015 द्वारा सूचित किया गया की इस वाद में अगली सुनवाई 14.09.2015 को निर्धारित की गई है। परन्तु इस पत्र को भी प्रभारी सहायक श्री अनिल कुमार द्वारा अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष अर्थात् लोक सूचना पदाधिकारी –सह– उप विकास आयुक्त –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद, वैशाली के समक्ष उपस्थापित नहीं किया गया जिसके कारण अद्योहस्ताक्षरी इस वाद में उपस्थित नहीं हो सके। ज्ञातब्य हो कि अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक– 14.08.2015 को प्रभार ग्रहण किया था अर्थात् मुझे व्यक्तिगत रूप से राज्य सूचना आयोग में उपस्थित होना था। परन्तु श्री अनिल कुमार, प्रभारी सहायक के लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता के चलते मैं निर्धारित तिथि को आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका, जिसके कारण माननीय राज्य सूचना आयुक्त के द्वारा दिनांक– 14.09.2015 को अधोहस्ताक्षरी पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 की धारा 20(A) के तहत दण्ड अधिरोपित कर दिया गया। इस आदेश का पत्र आयोग के पत्रांक 11655 दिनांक– 22.09.15 द्वारा निर्गत हुआ, जो रजिस्टरर्ड डाक से सीधे मेरे पास हस्तगत हुआ जिसके उपरान्त मै इस पूरी धटना से वाकिफ हुआ।

24/11/15

तदूपरान्त एतद् संबंधित संचिका मंगाकर इसका अवलोकन किया गया एवं तब इस सम्पूर्ण मामले में श्री अनिल कुमार, प्रभारी सहायक, जिला परिषद, वैशाली, हाजीपुर की लापरवाही उजागर हुयी । उनकी इस लापरवाही के कारण इस कार्यालय के पत्रांक– 1052 दिनांक– 24.10.15 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी कि क्यों नहीं इस महत्वपूर्ण संचिका के उपस्थापित नहीं करने एवं ससमय सूचना आयोग के निर्गत नोटिस की जानकारी नहीं देने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की जाय ? श्री अनिल कुमार, प्रभारी सहायक का स्पष्टीकरण दिनांक– 03.11.2015 को अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि उनसे यह भूल हुयी है। सम्यक विचारोपरान्त उनके इस स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया गया क्योंकि यह मामला भूल का नहीं वल्कि कर्तव्य में लापरवाही एवं असंवेदनशीलता का है जिसके कारण वरीय पदाधिकारी को दण्ड देने के लिये राज्य सूचना आयोग को बाध्य होना पड़ा। ऐसे लापरवाह कर्मचारियों के कारण सरकार की भी छवि धूमिल होती है ।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि प्रभारी सहायक इस मामले में दोषी है अतः श्री अनिल कुमार, प्रभारी सहायक, जिला परिषद, वैशाली, हाजीपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम .09. के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है एवं उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश दिया जाता है। विभागीय कार्यवाही का संचालन श्री अजय कुमार, प्रभारी निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जि0ग्रा0वि0अभि0, वैशाली करेंगे एवं उपस्थापन पदाधिकारी श्री कामेश्वर चौधरी, प्रधान सहायक, जिला परिषद, वैशाली होंगे । निलंबन अवधि में उन्हें जीवन यापन भत्ता देय होगा ।

यह आदेश तुरन्त प्रवृत होगा ।

3/11/15

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, वैशाली।

ज्ञापांकः– संचिका सं0 3–132/2013–14/1090 /दिनांकः– 24.11.15

प्रतिलिपिः– श्री अनिल कुमार, प्रभारी सहायक, जिला परिषद कार्यालय, वैशाली, हाजीपुर एवं श्री कामेश्वर चौधरी, प्रधान सहायक, जिला परिषद, वैशाली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– श्री अजय कुमार, प्रभारी निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जि0ग्रा0वि0अभि0, वैशाली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, वैशाली।

ज्ञापांकः– संचिका सं0 3–132/2013–14/1090 /दिनांकः– 24.11.15

प्रतिलिपिः– माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष एवं सभी माननीय सदस्यों को सूचनार्थ । अनुरोध है कि आगामी बैठक में इस आदेश को सम्पुष्ट कराना चाहेंगे । ज्ञातव्य हो कि यह आदेश सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के परिपेक्षय में पारित है एवं इसकी प्रति माननीय राज्य सूचना आयुक्त को समर्पित है।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर एवं माननीय राज्य सूचना आयुक्त के उप सचिव, श्री जयकृष्ण दास को वाद सं0– 82972/2012–13 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ ।

3/11/15

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, वैशाली।